Uttarakhand
Simply Heaven!

UTTARAKHAND TOURISM DEVELOPMENT BOARD

Department of Tourism, Government of Uttarakhand

Certificate of Home stay Registration

This is to certify............. **2**............. *Room of (property name)* ....**DAYA KISHAN DANI**...................

Shri / Smt .... **DAYA KISHAN DANI** .... *S/W/D* .... **DURGA DUTT**.....................

Address..... **VILLAGE SARNA PADAMPURI**.......... *Phone/Mobile*... ....**8126229181**.......................

Email..**N/A**..*has been registered as per*

Uttarakhand Home Stay Rule- 2016 For Two year Under........... **RURAL SILVER**................................

Category from...................... **18-08-2018**.................*To*...........................**18-08-2020**.........................

Certificate No- - **HS/NAINITAL 87/18/08/18**

Date- **18/08/2018**

Zila Paryatan Vikas Adhikari
Nainital
District tourism Development Officer
Uttarakhand Tourism Development Board

कार्यालय जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नैनीताल ।

प0सं0 775 /होम स्टे/2018–19 नैनीताल :: दिनांक 13 सितम्बर 2018

सेवा में,
श्री दया किशन दानी
पुत्र श्री दुर्गा दत्त
ग्राम – सरना, पदमपुरी, जिला – नैनीताल

विषय – उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) में पंजीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपकी आवासीय इकाई को उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) में पंजीकरण प्रमाण पत्र निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान किया जाता है।

1. आवासीय इकाई में ठहरने वाले पर्यटकों/यात्रियों की आई0डी0 अपने पास रखेगें।
2. आवासीय इकाई में रात्रि विश्राम करने वाले पर्यटकों/यात्रियों की सूचना प्रतिमाह 5 तारीख तक पर्यटक कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
3. आवासीय इकाई समुचित रूप से साफ–सुथरी, अग्निशमन सुरक्षा उपकरणों से संरक्षित तथा सुदृढ़ ढंग से निर्मित होने चाहिए।
4. आवासीय इकाई में ठहरने वाले यात्रियों/पर्यटकों को किराये का बिल/रसीद देना होगा, तथा पर्यटक/यात्रियों के हस्ताक्षर भी कराने होंगे। निर्धारित किराया दर से अधिक किराया नहीं वसूलेंगें।
5. आवासीय इकाई में पर्यटकों/यात्रियों हेतु एक आवागमन/विजिटर पंजिका (रजिस्टर) रखेंगे, जिस पर पर्यटकों/यात्रियों का पूर्ण विवरण साफ–साफ रखेंगे।
6. आवासीय इकाई का समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के समय उचित सहयोग देना होगा। कोई अनियमितता पाये जाने पर आपका पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
7. पंजीकरण निर्धारित अवधि दो वर्षो के लिए किया गया है। पंजीकरण की अवधि समाप्त होने पर यदि आप द्वारा नियमानुसार नवीनीकरण नही किया जाता तो यह समझा जायेगा कि आप होम स्टे इकाई के नवीनीकरण के इच्छुक नही है। तथा आपका पंजीयन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। जिसके लिए पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
8. आवासीय इकाई में ठहरने वाले पर्यटकों/यात्रियों द्वारा होम स्टे के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
9. यदि इस कार्यालय के संज्ञान में यह आया कि आप द्वारा राजस्व भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण किया गया है अथवा आप द्वारा भवन के सम्बन्ध में कोई भ्रामक सूचना प्रस्तुत की गयी है तो आपका पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
10. भवन स्वामी होटल की भाति आवास में स्वागत पटल (रिसेप्शन काउण्टर) नहीं लगायेगा तथा घर सामान्य आवास की भाँति ही रखेगा।
11. भवन स्वामी ऐसी कोई गतिविधि प्रोत्साहित या प्रचलित नही करेगा जिससे आस–पास के निवासियों को असुविधा हो, उनके अधिकारों का हनन हो या उनकी निजता पर कोई अतिक्रमण हो।
12. इकाई के विषय में भ्रामक सूचनाएं प्रचलित नहीं करेगा।
13. निर्धारित आवासीय दरों की सूचना जिला पर्यटन कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगी।
14. निर्धारित दरों को भवन के उचित स्थल पर प्रदर्शित करना होगा।
15. विदेशी पर्यटकों के आवास की सूचना भवन स्वामी द्वारा फार्म सी पर तत्काल शहरी क्षेत्रों में जो पुलिस के नियंत्रणाधीन हो, की दशा में स्थानीय थाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रहरी/पटवारी/राजस्व पुलिस को उपलब्ध करानी होगी।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
जिला पर्यटन विकास अधिकारी,
नैनीताल।

(धामी)

क्रमशः.........